मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 5 मई, 1994 (वैशाख 15, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का पैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.91 से 31.3.92 तक) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दी मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988–89 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट/उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1989–90 (अनुभाग 1 व 2) तथा वर्ष 1990–91 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की अडतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1992–93 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, गोपीकृष्ण नेमा, बाबूलाल जैन, सदस्य, मुरैना जिले के बामौर कस्बे में पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों द्वारा एक बालिका के साथ बलात्कार करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, जबलपुर जिले की कटनी विपणन सहकारी समिति में गंभीर अनियमितताओं की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री केशरी चौधरी, सदस्य –

(क) ग्वालियर जिले के ग्राम खिरिया आलम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(ख) ग्वालियर जिले के ग्राम खिरिया आलम में हाई स्कूल खोलने,

(2) दीवान चन्द्रभान सिंह, सदस्य –

(क) नरसिंहपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र बोहानी में तहसील मुख्यालय खोलने,
(ख) नरसिंहपुर जिले के ग्राम तेन्दूखेड़ा के निकट बरास नदी पर बांध बनाने,

(3) श्री कैलाश कुण्डल सदस्य –

(क) देवास जिले के ग्राम पीपल्दा में माध्यमिक शाला खुलवाने,
(ख) देवास जिले के ग्राम पीपल्दा के निकट कासरनी नदी पर बांध का निर्माण किये जाने,
(ग) देवास जिले के ग्राम रायपुरा में हैण्डपंप लगवाने,
(घ) देवास जिले के ग्राम पीपल्या काटकूट से कन्नौद तक सड़क का निर्माण किये जाने,

(4) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य –

(क) भोपाल शहर के कृष्णनगर में पेयजल समस्या का निदान किये जाने,
(ख) भोपाल शहर के शाहपुरा से बस स्टैण्ड तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने,

(5) श्री यादवेन्द्र सिह, सदस्य -

(क) टीकमगढ़ जिले के ग्राम लार में हाईस्कूल खोलने,
(ख) टीकमगढ़ जिले के ग्राम देवरदा में पेयजल की समस्या का निदान किये जाने,
(ग) टीकमगढ़ जिले के ग्राम बुडेरा में पेयजल की समस्या का निदान किये जाने,
(घ) टीकमगढ़ जिले के ग्राम सुजालपुरा में पेयजल की समस्या का निदान किये जाने,
(ङ.) टीकमगढ़ जिले के ग्राम पठा से बुडेरा के मध्य पुल-पुलियों का निर्माण किये जाने,
(च) टीकमगढ़ जिले के ग्राम डूंडा से ऊमरी सूर्य मन्दिर तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(छ) टीकमगढ़ जिले के विकास खंड बलदेवगढ़ में आई.टी.आई. खोलने,

(6) श्री लल्लू सिह, सदस्य -

(क) शहडोल जिले के ग्राम बकहो में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने,
(ख) शहडोल जिले के ग्राम बरगवां में विद्युत कनेक्शन दिये जाने,
(ग) शहडोल जिले के ग्राम सिहपुर मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किये जाने,
(घ) शहडोल जिले के ग्राम सिहपुर के सरफा तथा बैसहा नाले पर पुल का निर्माण किये जाने,
(ङ.) शहडोल जिले में विद्युत मण्डल का अधीक्षण यंत्री कार्यालय खोलने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेगें.

6. श्री मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, राज्यमंत्री वक्फ एवं उर्दू अकादमी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विशेष न्यायालय के गठन पर वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्य मंत्री परिवहन, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1994 (क्रमांक 22 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

3 घण्टे (2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 12 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास (निरसन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 17 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा (4) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 13 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 1994 (क्रमांक 18 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

(1) दिनांक 4 अप्रैल, 1994 तथा 8 मार्च, 1994 को वन मंत्री से पूछे गये क्रमशः तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 6765) तथा परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 866) के उत्तर से उद्भूत विषय पर सर्वश्री शिवप्रताप सिह, मदन गोपाल सिह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 4 अप्रैल, 1994 को वन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 134 (क्रमांक 7605) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री गोविंद प्रसाद मिश्र, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 4 मई, 1994

शीला खन्ना
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा